न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–77 / 2015–16

अरूण कुमार दांगी बनाम अवधेश सिंह वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

12/5/18

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 25 / 2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा पारित दिनांक 01.08.2015 के आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है

प्रथम पक्ष :

श्री अरूण कुमार दांगी, पिता शिव शरण सिंह, मु0–मगध विकास कॉलोनी, मौर्या पथ, खाजपुरा, थाना–शास्त्रीनगर, पटना

द्वितीय पक्ष :

1. श्री अवधेश सिंह, पिता–स्व0 राजा राम सिंह, ग्राम–भुसौला दानापुर, थाना–फुलवारीशरीफ, पटना

2. श्री दीना सिंह, पिता स्व0 राजा राम सिंह, ग्राम–भुसौला दानापुर, थाना–फुलवारीशरीफ, पटना

3. श्री अशोक सिंह, पिता स्व0 राजा राम सिंह, ग्राम–भुसौला दानापुर, थाना–फुलवारीशरीफ, पटना

4. मो0 इम्तयाज हैदर, पिता मो0 महमूद आजाद, मखदूम रास्ती कॉलोनी, थाना–फुलवारीशरीफ, पटना

5. मो0 इम्तयाज अहमद, पिता स्व0 मो0 बदरूल होदा, मिन्हाज नगर, थाना–फुवारीशरीफ, पटना

6. बिहार सरकार

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
फुलवारीशरीफ	भुसौला दानापुर	40	01	541	8डी0

आवेदक का कहना है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड खाता सं0 1, खेसरा सं0 541 सुभागी कुंवर, पति हरि महतो एवं मो0 मांझो कुंवर, पति काली महतो की थी, जो उन्होंने खेसरा सं0 544 के साथ पारिवारिक पुरोहित प्यारे ओझा को सर्वे से पूर्व मौखिक रूप से दान कर दिया था। पुनः सुभागो कुँवर एवं मांझो कुंवर के द्वारा खेसरा सं0 542 का 10 कठ्ठा दिनांक 16.03.1923 को निबंधित दान पत्र से रामवृक्ष ओझा, पिता प्यारे ओझा को दान दिया गया, जिसमें

प्रश्नगत खेसरा सं0 541 का भी वर्णन है।

(2) सर्वे खतियान में प्रश्नगत प्लॉट 541 प्यारे ओझा के नाम से दर्ज है। प्यारे ओझा के वंशज एवं उत्तराधिकारी चन्देश्वर ओझा के द्वारा प्रदीप विश्वकर्मा को प्रश्नगत भूखण्ड की पावर ऑफ आटर्नी दी गयी तथा प्रदीप विश्वकर्मा के द्वारा दिनांक 30.03.2007 के निबंधित केवाला से प्रश्नगत भूखण्ड 8डी0 चन्देश्वर प्रसाद विश्वकर्मा को बेच दी गयी।

(3) क्रय के पश्चात चन्देश्वर प्रसाद विश्वकर्मा प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये तथा दाखिल खारिज वाद सं0 125/2 वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत जमाबंदी सं0 4009 कायम की गयी।

(4) चन्देश्वर प्रसाद विश्वकर्मा के द्वारा प्रश्नगत 8डी0 जमीन की बिक्री दिनांक 11.03.2010 के निबंधित केवाला से आवेदक को की गयी। खरीदगी के पश्चात आवेदक प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये तथा अपने नाम से दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया।

(5) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 2342/2 वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 2342/2 वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 25/2014–15 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 01.08.2015 के अपने आदेश से अपील इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गयी कि प्रश्नगत भूखण्ड भी समानान्तर जमाबंदी चल रही है, इस स्थिति में अंचलाधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(7) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के दिनांक 01.08.2015 के आदेश को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी।

(1) सिकमी खतियान

(2) सर्वे नक्शा

(3) दिनांक 16.03.1923 का बक्शीशनामा एवं उसका हिन्दी अनुवाद

(4) दिनांक 25.04.1972 का केवाला

(5) दिनांक 30.03.2007/31.03.2007 का केवाला

(6) दिनांक 16.07.2004 का पावर ऑफ अटर्नी

(7) दिनांक 11.03.2010 का केवाला

(8) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{125}{2}$ वर्ष 2007–08

(9) चन्देश्वर प्रसाद विश्वकर्मा के नाम से निर्गत वर्ष 2007–08 की लगान रसीद

(10) मुकमदा सं0 146/1936 का ब्यान

विपक्षी सं0 4 एवं 5 का कथन है कि

(1) यह वाद काल बाधित है तथा चलने लायक नहीं है।

(2) विपक्षी सं0 4 एवं 5 के द्वारा खाता सं0 76, खेसरा सं0 541 रकवा 2 कट्ठा 7 धुर 17 धुरकी (3258 वर्गफीट) दिनांक 31.03.2008 के निबंधित केवाला से अवधेश सिंह, दीना सिंह एवं अशोक सिंह (विपक्षी सं0 1, 2, 3) से खरीदा गया।

(3) खरीदगी के पश्चात विपक्षी सं0 4 एवं 5 भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में आये तथा दाखिल खारिज वाद सं0 160/2 वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत उनके नाम से जमाबंदी सं0 1977 कायम की गयी। वर्ष 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत है।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड खाता सं0 76, खेसरा सं0 541 विपक्षी सं0 1 से 3 के पिता राजाराम सिंह की थी जिनके नाम से जमाबंदी सं0 795/'क' कायम थी।

(5) विपक्षी के द्वारा खाता सं0 1 खेसरा सं0 541 रकवा 8डी0 के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को आवेदन दिया गया था। दाखिल खारिज वाद स0 2342/2 वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त विपक्षी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

(6) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर का आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है। आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

विपक्षीगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी।

(1) दिनांक 31.03.2008 का केवाला

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{160}{2}$ वर्ष 2008–09 का आदेश

(3) विपक्षी सं0 4 एवं 5 के नाम से निर्गत वर्ष 2016–17 की लगान रसीद

(4) नकल खतियान

(5) राजा राम सिंह की जमाबंदी सं0 795 'क' पर निर्गत वर्ष 2004–05 की लगान रसीद

(6) विपक्षी सं0 4 एवं 5 के नाम से निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र

(7) मापी नक्शा

(8) विद्युत विपत्र

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का परिशीलन किया।

इस न्यायालय को पुनरीक्षण वाद में मुख्य रूप से यह देखना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं

दाखिल खारिज वाद सं0 2342/2 वर्ष 2012–13 में दिनांक 20.05.2013 को अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्न तथ्य रखे गये है।

(1) प्रश्नगत खेसरा 541 का खाता सं0 76 है, खाता सं0 1 नहीं

(2) प्रश्नगत भूखण्ड पर इस वाद के आवेदक अरूण कुमार दांगी

का दखल कब्जा संदिग्ध है।

(3) सुभागो कुँवर के वर्ष 1923 के दान–पत्र में खेसरा सं0 541 सन्निहित नहीं है।

(4) खाता सं0 76 खेसरा सं0 541 रकवा 8डी0 की जमाबंदी पूर्व से इस वाद के विपक्षी सं0 4 एवं 5 के नाम से कायम है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा इस वाद के आवेदक के दाखिल खारिज का आवेदन अस्वीकृत किया गया, जो उचित एवं विधि सम्मत है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 25/2014–15 के अन्तर्गत उभय पक्ष को सुनकर तथा साक्ष्यों की विवेचना कर दिनांक 01.08.2015 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के आदेश को सही एवं विधि सम्मत माना गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा अपने आदेश में समानान्तर जमाबंदी की बात कही गयी है। उस बिन्दु पर इस पुनरीक्षण वाद में विचार नहीं किया जा सकता है। आवेदक चाहें तो उसके लिए बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम की धारा–9 के तहत अलग से वाद दायर कर सकते है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 25/2014–15 में दिनांक 01.08.2015 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

3/5/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना

3/5/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना